

**न्यायालय:- श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.)**

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 21 / 2015
संस्थान दिनांक 24.04.2015

श्रीमती गोपीबाई पति पन्नालाल कहार आयु 70 वर्ष
निवासी-भोंगली नदी के किनारे, अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रार्थी

वि रु द्ध

1. मगन पिता पन्नालाल कहार, आयु 50 वर्ष
2. गीताबाई पति मगन,
दोनों निवासी-भोंगली नदी के किनारे, अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----प्रतिप्रार्थीगण

// आ दे श //

// आज दिनांक 30.10.2015 को पारित //

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र अंतर्गत घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (2005 का 43) धारा 9 (ख) एवं धारा 37 (2) (ग) दिनांक 24.04.2015 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थीगण इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निवास स्थान धारा 20 के अंतर्गत भरण-पोषण का आदेश, धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में एक साथ 2 लाख रुपये दिलाये जाने की मांग की है।

2. प्रार्थी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 प्रार्थी का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 प्रार्थी की बहू है, जो प्रार्थी के साथ आये दिन गाली-गलोच कर मारपीट करते हैं तथा प्रार्थी के पति पन्नालाल जिनकी आयु 80 वर्ष है, को घर से निकाल दिया है और प्रार्थी को दरवाजा से गला रेतने एवं जमीन में गाड़ देने की धमकी भी देते हैं। विवाह के बाद से ही प्रत्यर्थी क्रमांक 1 प्रार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा कहते हैं कि प्रार्थी प्रत्यर्थीगण के घर में नहीं रहेगी, अगर आई तो चोरी का मिथ्या आरोप लगायेंगे। जबकि प्रार्थी 70 वर्ष की वृद्ध महिला है और कोई भी काम-काज नहीं कर सकती है। प्रार्थी की अन्य संताने अंजड़ से बाहर रहती है।

प्रार्थी का अपना स्वयं का मकान अंजड़ में है, लेकिन प्रत्यर्थीगण ने उस मकान में कब्जा कर लिया है और प्रार्थी को घर से निकाल दिया है इसलिए प्रार्थी ने घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपना मकान खाली करवाकर उसमें निवास की व्यवस्था कराई जाने, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से स्वयं के भरण-पोषण एवं ईलाज के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपये दिलाये जाने और अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रत्यर्थीगण द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण एकमुश्त प्रतिकर की राशि रुपये 2,00,000/- दिलाये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया है।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध दिनांक 29.05.2015 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. क्या प्रार्थी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की माता है ?
2. क्या प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ घरेलु हिंसा की गई है ?
3. क्या प्रार्थी प्रत्यर्थीगण से स्वयं के मकान का रिक्त आधिपत्य पाने की अधिकारी है ?
4. क्या प्रार्थी प्रत्यर्थीगण से प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में 5000/- रुपये पाने की अधिकारी है ?
5. क्या प्रार्थी प्रत्यर्थीगण से प्रतिकर के रूप में रुपये 2,00,000/- पाने की अधिकारी है ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5 के संबंध में

5. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाँचों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त पाँचों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं प्रार्थी श्रीमती गोपीबाई (प्रा.सा1) ने अपने कथन में बताया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उसका पुत्र है तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 उसकी बहू है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे एवं उसके पति को घर से निकाल दिया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे गला रेतकर जमीन में गाड़ने की धमकी देते हैं। प्रत्यर्थीगण विवाह के बाद से ही उसे गालिया देकर मारपीट कर उसे शारीरिक एवं

मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा कहते थे कि घर मत आना, अगर आई तो जान से खत्म कर देंगे। प्रत्यर्थीगण उसके ही मकान में रहते हैं और उसे घर से निकाल दिया है। वह दर-दर की ठोकरे खा रही है। प्रत्यर्थीगण उसके ही मकान में रहकर उसे प्रताड़ना देते हैं तथा उसके घर पर कब्जा कर लिया है। उसके द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र थाना बड़वानी में प्रत्यर्थीगण की शिकायत की गई, जिसमें उसे न्यायालय अंजड़ में कार्यवाही करने की सलाह दी जो प्रदर्शपी 1 है। उसके मकान जिस पर प्रत्यर्थीगण के द्वारा कब्जा किया गया है उसका प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 2, मकान की कर रसीद प्रदर्शपी 3 है, प्रत्यर्थीगण से उसे रहने के लिए मकान दिलाया जाये। उसके खान-पान ईलाज के लिए प्रत्यर्थी मगन को निर्देशित किया जाये तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए एकमुश्त 2,00,000/- रुपये तथा भरण-पोषण हेतु रुपये 5000/- दिलाये जाये। प्रत्यर्थी मगन फल विक्रय करने का व्यवसाय कर प्रतिदिन 800-1000 रुपये आय अर्जित करता है। प्रार्थी की साक्ष्य का समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होता है। प्रदर्शपी 1 महिला परामर्श केन्द्र थाना बड़वानी में प्रार्थी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार दी गई कानूनी सलाह की प्रति है तथा प्रदर्शपी 2 नगर पंचायत अंजड़ द्वारा प्रार्थी के नाम का वार्ड क्रमांक 7 पट्टा रजिस्टर में अतिक्रमण क्रमांक 037 पर 47 X 23.10 वर्गफीट का भवन प्रार्थी का नाम से होने और उसके द्वारा उक्त भवन का कर नगर परिषद अंजड़ में जमा कराये जाने की रसीदें हैं।

7. प्रत्यर्थीगण के एकपक्षीय रहने के कारण प्रार्थी की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 प्रार्थी का पुत्र है और प्रार्थी के नाम का नगर पंचायत अंजड़ में वार्ड क्रमांक 7 में एक मकान है जिसका कर प्रार्थी द्वारा अदा किया जाता है लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थी को उसके निवास स्थान से निकाल दिया गया है जबकि प्रार्थी एक वृद्ध महिला होकर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की माता है तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट कर धमकियाँ आदि देकर उसके प्रति घरेलू हिंसा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की माता है तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थी को उसके निवास स्थान से निकाल दिया गया तो प्रार्थी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से अपने निवास स्थान में निवास करने हेतु अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निवास का आदेश तथा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर की राशि पाने की अधिकारी है।

8. संरक्षण अधिकारी ने अंजड़ से प्रार्थी के आवेदन की जाँच कराये जाने पर उनके द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों का समर्थन किया गया तथा घरेलू हिंसा की जाँच रिपोर्ट अधिनियम की धारा 37 (2) सी के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिससे भी प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों का समर्थन होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन अधिनियम की धारा 12, 19 एवं 22 के प्रावधान अनुसार स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 19 एवं 22 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को आदेशित किया जाता है कि –

अ. वह प्रार्थी का ग्राम अंजड़ में स्थित वार्ड क्रमांक 7 पट्टा रजिस्टर में मकान क्रमांक 37 जो प्रार्थी के नाम से है, का रिक्त एवं वास्तविक आधिपत्य आदेश दिनांक से 1 माह के भीतर प्रार्थी को प्रदान करे।

ब. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के साथ की गई शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थी को एकमुश्त रुपये 5000/– प्रदान करे।

9. प्रार्थी ने इस आवेदन में प्रतिप्रार्थी को अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत भरण-पोषण की राशि की मांग भी की है, लेकिन प्रार्थी एवं उसके पति ने प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध द.प्र.स. की धारा 125 का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी को उसके पुत्र से प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि देने का आदेश विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 22/2015 में दिनांक 31.08.2015 को रुपये 1000/–, 1000/– दिया गया। ऐसी स्थिति में पुनः इस प्रकरण में प्रार्थी को प्रत्यर्थी से भरण-पोषण दिलवाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कोई आदेश प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा उक्त संबंध में प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

10. प्रार्थी ने प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध भी यह आवेदन प्रस्तुत किया है लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक 2 प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की पत्नी होकर प्रार्थी की पुत्र वधू है तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी का उक्त आवेदन प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के महिला होने के आधार पर प्रचलन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के संबंध में प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

11. उक्त आदेश की एक प्रति प्रार्थी, थाना प्रभारी अंजड़ तथा संरक्षण अधिकारी अंजड़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये।

12. प्रार्थी का आवेदन का व्यय भी प्रतिप्रार्थी वहन करेगे, जो 500/—(पाँच सौ रुपये मात्र) रुपये निर्धारित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी